न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 18/2022/दावा/बउनवान/चतुर्भुज बनाम संजय शर्मा
जीसीएमएस संख्या 2022/66

1. चतुर्भुज पुत्र औंकार जाति मीणा निवासी महलपुर तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. भैरूलाल पुत्र औंकार जाति मीणा निवासी महलपुर तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
3. रामनिवास पुत्र भैरूलाल जाति मीणा निवासी महलपुर तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. संजय शर्मा पुत्र मदनमोहन जाति ब्राह्मण निवासी छोटा बाजार मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील वादी : श्री वीरेन्द्र सिंह
वकील प्रतिवादी : श्री मनोज कुमार गालव
दायरा दिनांकः 10.05.2022 **निर्णय दिनांक : 04.03.2025**

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि प्रार्थी क्रम 1 व 2 के सयुंक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0. 374 रकबा 0.27 हे0, वाके ग्राम महलपुर तहसील मांगरोल के माल में स्थित हैं।
2. यह कि इसी प्रकार प्रार्थी क्रम 3 के कब्जे काश्त की सरकारी आराजी खसरा नं0. 272 रकबा 0.36 हे0, खसरा नं0. 273 रकबा 0.47 है0, भूमि ग्राम मोरडी तहसील मांगरोल में स्थित है, सरकारी भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी क्रम 3 का तथा पूर्व में प्रार्थी क्रम 3 के पिता प्रार्थी क्रम 2 भैरुलाल का विगत 50 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है।
3. यह कि अप्रार्थी क्रम 1 कस्बा मांगरोल का प्रभावशाली एवं झगडालू प्रवृति का व्यक्ति है जो प्रार्थना–पत्र की मंद नं0. 1 में प्रार्थी क्रम 1 व 2 के सयुंक्त खाते की आराजी एवं प्रार्थी क्रम 3 के कब्जे काश्त की सरकारी भूमि पर जबरन कब्जा करने को आमादा हो रहा है उसने यानि अप्रार्थी क्रम 1 ने ओर भी सरकारी भूमियों पर कब्जा कर रखा है इस कारण उसके हौंसले बुलन्द हो रहे हैं। पूर्व में अप्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थना–पत्र की मद नं0. 1 तथा 2 में वर्णित भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया किन्तु वह सफल नहीं हो सका तथा अब वह पुनः प्रार्थीगण को धमकियां दे रहा है कि अबकी बार बन्दूकधारियों के बल पर जबरन कब्जा करके रहेगा।
4. यह कि अप्रार्थी क्रम 1 दिनांक 09.03.2022 को कई सारे व्यक्तियों को लेकर प्रार्थना–पत्र की मद नं0. 1 व 2 में वर्णित भूमियों पर आ गया तथा कहने लगा कि इस बार उसे कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता इस कारण प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह प्रार्थना–पत्र की मद नं0. 1 व 2 में वर्णित भूमियों पर अप्रार्थी

Scanned by CamScanner

क्रम 1 के विरुद्ध माननीय न्यायालय से ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करे जिसके प्रार्थीगण कानूनन अधिकारी है।

5. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं0. 2 में वर्णित भूमियों पर प्रार्थी क्रम 3 अपने पिता भैरुलाल की मौजूदगी में ही काबिज चला आ रहा है तथा उसके व उसके पिता के कब्जे काश्त में गत 50 वर्षो से किसी अन्य व्यक्ति ने दखलअंदाजी नहीं की है लेकिन उक्त वर्णित भूमि सरकारी दर्ज होने से अप्रार्थी क्रम 1 आये दिन प्रार्थीगण को परेशान करने लगा है। आराजी खसरा नं0. 272 रकबा 0.36 हे0, खसरा नं0. 273 रकबा 0.47 हे0, ग्राम मोरडी जो सरकारी है पर गत 50 वर्षो से कब्जे काश्त के आधार पर प्रार्थी क्रम 3 को स्वतः ही माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के अपादित सिद्धान्तों के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो गये है, इसलिए उक्त आराजी पर प्रार्थी क्रम 3 को खातेदार घोषित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है जिसका प्रार्थी क्रम 3 कानूनन अधिकारी हैं।
6. यह कि अप्रार्थी क्रम 1 को यह विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह प्रार्थना–पत्र की मद नं0. 1 व 2 में वर्णित आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी करें अप्रार्थी क्रम 1 ने दिनांक 09.03.2022 को आराजी पर कब्जा करने की धमकी दी है इसलिए अप्रार्थी क्रम 1 को उसके गलत उद्देश्य में कामयाब होने से रोकने के लिए जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।
7. यह कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यों पर आधारित हैं क्योंकि प्रार्थी क्रम 1 व 2 प्रार्थना–पत्र की मद नं0. 1 में वर्णित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है तथा प्रार्थना–पत्र की मद नं0. 2 में वर्णित आराजी प्रार्थी क्रम 3 के कब्जे काश्त की है जिस प्रार्थी क्रम 3 काबिज काश्त है।
8. यह कि सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू भी पूर्णतया प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी क्रम 1 व 2 प्रार्थना–पत्र की मद नं0. 1 में वर्णित स्वयं के खाते दर्ज आराजी में आज तक बिना किसी व्यवधान के काश्त करते है व प्रार्थी क्रम 3 प्रार्थना–पत्र की मद नं0. 2 में वर्णित आराजी पर अपने पिता भैरुलाल की मौजूदगी में काबिज चला आ रहा है अगर अप्रार्थी क्रम 1 उक्त वर्णित आराजी जो प्रार्थना–पत्र की मद नं0. 1 व 2 में वर्णित है पर से बेदखल कर कब्जा करने में सफल हो गया जो प्रार्थीगण को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी से हाथ धोना पडेगा तथा अन्य वाद विवाद में उलझना पडेगा जिससे प्रार्थीगण का अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार किया जाना संभव नहीं होगा।
9. यह कि अन्य कारण दौराने बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे।

अतः प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन है कि सादर अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण निम्न आशय की जारी की जावे :–

(अ) अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थना–पत्र की मद नं0. 1 में वर्णित प्रार्थी क्रम 1 व 2 के सयुंक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0. 374 रकबा 0.27 हे0, वाके ग्राम महलपुर तहसील मांगरोल पर प्रार्थी क्रम 1 व 2 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें, प्रार्थी क्रम 1 व 2 को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवें।

(ब) यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं0. 2 में वर्णित प्रार्थी क्रम 3 के कब्जे काश्त की सरकारी भूमि खसरा नं0. 272 रकबा 0.36 हे0, खसरा नं0. 273 रकबा 0.47 हे0, वाके ग्राम मोरडी तहसील मांगरोल पर प्रार्थी क्रम 3 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें, प्रार्थी क्रम 3 को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवें।

उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने का प्रकरण दिनांक 09.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादी ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या (अ) में वर्णित आराजी पर उसका कोई कब्जा नहीं

Scanned by CamScanner

है। तथा प्रार्थना पत्र की मद संख्या (ब) में वर्णित आराजी सिवायचक है जिस पर प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओं को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा वाके ग्राम महलपुर तहसील मांगरोल में स्थित खाता सख्या 68 के खसरा नं. 374 रकबा 0.29 हे0 आराजी पर जबरन कब्जा एवं कब्जा काश्त में दखल अंदाजी करने से रोकने हेतु अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। चूंकि प्रार्थी कम 1 व 2 प्रार्थना पत्र की विवादित आराजी पर रिकार्डेड खातेदार है तथा अप्रार्थी कम 1 बलपूर्वक प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। अनावश्यक वादकरण रोकने की दृष्टि से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सावित होता है।
2. **अपूर्णनीय क्षति** : चूंकि प्रार्थी कम 1 व 2 प्रार्थना पत्र की विवादित आराजी खसरा नं. 374 रकबा 0.29 हे0 में बतोर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। यदि अप्रार्थी कम 1 द्वारा विवादित आराजी पर अवैध कब्जा कर खुर्द–बुर्द किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
3. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का विंदु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

अतः प्रार्थना पत्र, बहस वकील एकपक्षीय संलग्न दस्तावेजों, राजस्व रिकॉर्ड एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के अभिनिर्धारण हेतु आवश्यक तीनों बिन्दुओं पर विचार करने के पश्चात् प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी कम 1 ग्राम महलपुर तहसील मांगरोल खाता सख्या 68 के खसरा नं. 374 रकबा 0.29 हे0 आराजी के मौके की यथास्थिति बनाए रखे। प्रार्थी कम 1 व 2 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलान्दाजी नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल मूल वाद हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांक 04.03.2025 को सुनाया गया।

Scanned by CamScanner